भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †2645

दिनांक 09.07.2019/18 आषाढ़,1941 (शक) को उत्तर के लिए

आतंकवादियों द्वारा ड्रोन से हमला

†2645. डॉ॰ सुकान्त मजूमदारः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री राजा अमरेश्वर नाईकः
श्री कानुमुरू रघु राम कृष्णराजूः
श्री विनोद कुमार सोनकरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को कुछ देशों में राज्य के प्रतिष्ठानों के साथ-साथ वहां के लोगों पर हमला करने के लिए आतंकवादियों द्वारा ड्रोन का उपयोग किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ भारत विरोधी तत्व/आतंकवादी संगठन देश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एस॰एच॰ए॰आर॰) और प्रमुख व्यक्तियों पर आतंकी हमले के खतरे सहित व्यावसायिक/ सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले करने के लिए ड्रोन जैसे उपकरण का उपयोग कर सकते हैं;

(ग) क्या पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी॰पी॰आर॰डी॰) ड्रोनरोधी प्रौद्योगिकी के अधिगृहण की रूपरेखा बनाने हेतु रणनीतियां और प्रचालन प्रक्रियाएं तैयार कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और देश में हमलों से निपटने और इन्हें विफल करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में ड्रोनों के विक्रय और तत्पश्चात् उपयोग के विनियमन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (ड.): दूसरे देशों में सरकारी प्रतिष्ठानों तथा वहां के लोगों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन के

उपयोग के कुछ मामले ध्यान में आए हैं। देश में ड्रोन के खतरों का सामना करने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा सुरक्षा एजेंसियों के साथ परामर्श से आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने "सिविल रिमोटली पायलेटेड एयरक्राफ्ट प्रणाली" के प्रचालन हेतु नागर विमानन अपेक्षाओं को दिनांक 27.8.2018 को अधिसूचित किया है।

******